

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 8/2018-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37 की उपधारा (2), और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 89/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21.09.2017, जिसे सा.का.नि. 1178(अ) दिनांक 21.09.2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) अध्याय - 3 में, टैरिफ मदों 030201, 0303, 030401, 030701 और 030801 के समक्ष,-

- (क) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.1%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10.9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अध्याय - 16 में,-

- (क) टैरिफ मद 160301 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.1%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10.9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) टैरिफ मद 160501 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.7%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "21.6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) टैरिफ मद 160502 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.1%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "57.2" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) टैरिफ मद 160503 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "24" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) टैरिफ मद 160504 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.7%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "46.6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (च) टैरिफ मद 160505 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.1%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10.9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) टैरिफ मद 702004 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3.2%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “17.6” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) टैरिफ मद 702005 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.2%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “22.1” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) अध्याय – 87 में,-

- (क) टैरिफ मद 871201 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.6%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “116” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) टैरिफ मद 871202 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “7.8%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “586” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) टैरिफ मद 871203 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “406” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) टैरिफ मद 871204 के समक्ष,-
 - (i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.6%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “116” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) अध्याय – 95 में, टैरिफ मद 950611 के समक्ष,-

- (क) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3.2%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “17” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

[फा.सं. 609/8/2018-डीबीके]

(आनन्द कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 89/2017-सीमा शुल्क (गै.टै), दिनांक 21.09.2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), दिनांक 21.09.2017 सा.का.नि. 1178(अ), दिनांक 21.09.2017, के तहत में प्रकाशित किया गया था।